'मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में

शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अधीन भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एन0ए0पी0एस0) का लाभ अधिकाधिक युवाओं को प्रदान कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (सी0एम0–ए0पी0एस0) को प्रारम्भ किया जाना है। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही 25 प्रतिशत धनराशि (अधिकतम 1,500 रुपये प्रतिमाह) में सी0एम0–ए0पी0एस0 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 1,000 रुपये प्रतिमाह की धनराशि का अतिरिक्त टॉपअप किया जायेगा। इस प्रकार, प्रत्येक चयनित प्रशिक्षु हेतु उद्योगों एवं अधिष्ठानों को कुल 2,500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि की प्रतिपूर्ति होने लगेगी। 'मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' (सी0एम0–ए0पी0एस0) के अन्तर्गत वे ही प्रशिक्षु लाभ प्राप्त करेंगे, जो केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एन0ए0पी0एस0 में पंजीकृत हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में सी0एम0–ए0पी0एस0 के अन्तर्गत 85,000 युवाओं को नियोजित कराने का लक्ष्य रखते हुए राज्य के बजट में 100 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

योजना में राज्य सरकार द्वारा भी 1,000 रुपये प्रति शिक्षु को भुगतान किए जाने की स्थिति में उद्योग/अधिष्ठान अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आकर्षित होंगे। वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रारम्भ होने वाली 'मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

'मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' (सी0एम0–ए0पी0एस0) का क्रियान्वयन, एन0ए0पी0एस0 के संचालन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित किये गये नियमों के अनुरूप किया जाएगा। 'मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' का क्रियान्वयन राज्य के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा किया

जाएगा। इस हेतु प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में राज्य शिक्षुता एवं अनुश्रवण सेल स्थापित की जाएगी। यह सेल निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के दिशा–निर्देशन तथा प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्य करेगी।

'मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' का अनुश्रवण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मासिक आधार पर, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के स्तर पर प्रति दो माह तथा प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की अध्यक्षता में त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। 'मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' के अन्तर्गत चयनित प्रशिक्षुओं का सत्यापन सम्बन्धित जनपद के नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाएगा। शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपदों में उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

'मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' के सुचारु एवं सफल क्रियान्वयन/संचालन हेतु एक राज्य स्तरीय वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा अपरेन्टिसशिप ट्रेनिंग स्कीम/एन0ए0पी0एस0 के क्रियान्वयन हेतु संचालित ऑनलाइन पोर्टल के साथ इसे इण्टीग्रेट किया जाएगा। योजना के संचालन हेतु विकसित किये जाने वाले राज्य स्तरीय वेब पोर्टल पर समस्त चयनित प्रशिक्षुओं को प्रदान किये जा रहे प्रशिक्षण के मूल्यांकन की व्यवस्था होगी। राज्य स्तरीय वेब पोर्टल पर प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षुओं को प्राप्त हुए सेवायोजन की ट्रैकिंग की भी व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे योजना के सम्बन्ध में फीडबैक प्राप्त हो सके।

————————